# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

दिनांक 2.3.2015

क्र.3779 /22/वि-12/ग्रास/लेखा

प्रति,

**महाप्रबंधक (समस्त)**
**म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण**
**परियोजना कियान्वयन इकाई**
.............

**विषय-ठेकेदारों को दिए गए मोबेलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम की बसूली।**

म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यो हेतु ठेकेदारों को बैंक ग्यारंटी के विरुद्ध मोबेलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम दिए जाने का प्रावधान है। अग्रिम के विरुद्ध समानुपातिक रूप से किश्तों की राशि के बराबर बैंक ग्यारंटी ठेकेदार से ली जा सकती है। ठेकेदार को दिए गए अग्रिम की बसूली के संबंध में अनुबंध की कंडिका कमांक 45.3 के अनुसार ठेकेदार को दिए गए अग्रिम को 10 समान किश्तों में अथवा कार्य की पूर्णता दिनांक से एक माह पूर्व (जो भी पहले हो) बसूल कर लिया जाना चाहिए। कुछ प्रकरणों में देखा गया है कि ठेकेदारों को दिए गए मोबेलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम की बसूली निर्धारित समय पर नहीं की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में सामन्यतः ठेकेदार का बिल प्राप्त नहीं होना जैसी टीप दी जाती है, यह उचित नहीं है। ठेकेदारों से अग्रिम की राशि निर्धारित अवधि में बसूल नहीं होने पर भारत शासन द्वारा कड़ी आपत्ति ली गई है।

निर्देशित किया जाता है कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को दिए गए मोबेलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम की बसूली की जाए, बिल निर्मित नहीं होने की स्थिति में बैंक ग्यारंटी का नगदीकरण कर दिए गए अग्रिम राशि की बसूली की जाए। ठकेदारों को दिए गए मोबेलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम की बसूली अनुबंध में निर्धारित शर्तो के अनुरूप नहीं होने पर महाप्रबंधक एवं लेखाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें एवं यह मानते हुए कि ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)**

2/3/15
(सतीश चंद्र दुबे)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क्र.3780 /22/वि-12/ग्रास/लेखा

दिनांक 2.3.2015

E/2012/after/letters/233

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक समस्त म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई की ओर पालनार्थ प्रेषित।
4. आडिट शाखा, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

2/3/15

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

E/2012/after/letters/234